

जनार परिषद् अजामेर

तृतीय अनुष्ठी

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 122 के अन्तर्गत जब हस्तांतरण लिखित द्वारा निष्पादित किया गया हो उस समय किसे और किस हस्तांतरण के सूचना पत्र का प्रेषण श्रीमान अध्यक्ष 1 प्रायुक्त महोदय नगर परिषद्, अजामेर की सेवा में भेजा जाय... पुत्र/स्त्री

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सूचना की दिनांक	पंजीयन लिखित का दिनांक	दिकोरा या अभिहस्ताकन कर्ता का नाम	क्रेता या अभिहस्तिकता का नाम	अभिफल राशि	सम्पत्ति का वर्णन	स्थिति	निर्धारण सूची में संस्था	भूमि का आकार	सीमाएं	यदि लिखित या पंजीयन कराना पड़ा हो तो पंजीयन का दिनांक पत्र संख्या	टिप्पणी

प्राची के. हस्तांतरण प्रस्ताविका